न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु जिला– बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री सज्जनराम आर.टी.एस

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का लुनाड़ा		1. ईशेखा पुत्र इब्राहीम 2. ईशाकखां पुत्र यालोहम्मद 3 महारखां / मीरमोहम्मद 4 फोटेखां / ईशाकखां 5 शायबखन / ईशेखां कौम मुसलमान निवासी सांईयों का तला तहसील बायतु।

मुकदमा नम्बर 02/2020 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14.09.2020

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम **सांईयों का तला** के खसरा नम्बर **1276** बीघा कुल रकबा 14.7804 हैक्टयर में से 3150 वर्ग फीट किस्म गैर.मू. मुम. **भूमि पर** अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का **लुनाडा** द्वारा रिपोर्ट पेश की , जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.06 रू 50 गुणा जुर्माना रू 50/- अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्राथी से वसूल हो। विप्राथी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फेसल सुमार होकर दफतर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट बायतु